भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1941

उत्तर देने की तारीख: 31.07.2025

अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण

1941. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कोई विशिष्ट नीति या राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है.

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही राज्यवार मुख्य उद्देश्य, लक्षित समूह और कार्यान्वयन अभिकरण कौन से हैं;

(ग) जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधि का महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र विकसित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई केंद्रीय निगरानी तंत्र स्थापित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) अब तक राज्यवार कितने व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) और सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) स्वत्व जारी किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्य नीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अनुसूचित जनजाति वाली आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास हेतु हर वर्ष अपने कुल स्कीम बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित की गई निधियों के साथ-साथ स्कीमें https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/doc/eb/stat10b.pdf लिंक में केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में दी गई हैं।

राज्य सरकारों को राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी (2011 की जनगणना) के अनुपात में, कुल स्कीम आवंटन के संबंध में टीएसपी निधियां निर्धारित करनी होती हैं। महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के कोष से टीएसपी के लिए आवंटन और व्यय का ब्यौरा https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। मंत्रालय द्वारा पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए राज्य-वार निधि आवंटन और इन स्कीमों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), भारत सरकार अपनी स्कीमों को एजेंसियों जैसे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) जो जनजातीय उत्पाद विपणन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) जो ऋण और स्वरोजगार सहायता प्रदान करता है; और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस), जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की देखरेख करती है, के माध्यम से क्रियान्वित करता है। मुख्य रूप से, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करते हैं। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य जनजातीय कल्याण विभाग और राष्ट्रीय एजेंसियाँ (जैसे ट्राइफेड और एनएसटीएफडीसी) की राज्य शाखाएँ शामिल हैं।

इसी प्रकार, बाध्य मंत्रालय/विभाग अपने-अपने राज्य स्तरीय संबंधित विभागों और एजेंसियों के माध्यम से डीएपीएसटी के अंतर्गत स्कीमों को लागू करते हैं।

(घ) मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग क्रमशः सीएस और सीएसएस स्कीमों का मूल्यांकन तृतीय पक्षकार के माध्यम से करते हैं। नीति आयोग ने वर्ष 2020-21 में समाप्त हुए ईएफसी चक्र के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया, जिसमें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, टीआरआई को सहायता, लघु वनोपज के लिए एमएसपी, टीएसएस को एससीए, पीवीटीजी का विकास, जनजातीय महोत्सव, बुनियादी ढाँचा, जन शिक्षा जैसी स्कीमों को शामिल किया गया है। कुछ स्कीमों के अंतर्गत कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. **अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम** ने कुछ प्रगति दिखाई है, परंतु स्कूल व कॉलेज स्तर पर दोनों ही स्कीमों में धीमा कार्यान्वयन और सीमित जागरूकता देखने को मिली है। राज्यों और हितधारकों ने पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार के लिए बेहतर संचार, जवाबदेही और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है। छात्रवृत्ति के नवीकरण और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना भी मैट्रिकोत्तर स्कीम की प्राथमिकता है।
2. **जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता** स्कीम अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है लेकिन प्रभावी थिंक-टैंक के रूप में कार्य करने के लिए इसके उद्देश्यों को नया रूप देने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, सुदृढ़ सामुदायिक सहभागिता, बेहतर निधि प्रवाह कार्य प्रणाली और क्षमता निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। मंत्रालय को इस स्कीम की नियमित रूप से ट्रैक व निगरानी करनी चाहिए और बेहतर मानव संसाधन एवं संस्थागत संरचना में निवेश करना चाहिए।
3. **टीएसएस को एससीए** स्कीम जनजातीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संसाधन आवंटन, निधि उपयोग और परियोजना निगरानी में सुधार की आवश्यकता है। समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निधि प्रवाह के लिए बेहतर प्रणालियाँ और सुदृढ़ निगरानी संरचनाएं आवश्यक हैं।

(ङ) मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए दो मिशन नामतः प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किए हैं

पीएम-जनमन: सरकार ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित छात्रावासों और सचल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) सहित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है। पीएम-जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8768 करोड़) है।

डीएजेजीयूए: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य पांच वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में पाँच करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पूरा करना, छात्रावास, आंगनवाड़ी सुविधाओं और सचल चिकित्सा इकाइयों जैसी सामाजिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियाँ बनाई गई हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शीर्ष समिति (एसएलएसी) गठित की गई है। जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति और ब्लॉक स्तर पर, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन दल (बीएलआईटी) का गठन किया गया है, ताकि उपायों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं।

(च) जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्टों की निगरानी करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहलुओं पर निर्देश और दिशानिर्देश जारी करता रहा है। इसके अलावा, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। डीसी/डीएम को सभी लंबित एफआरए दावों का समय पर निपटान करने की सलाह दी गई है। एफआरए के उल्लंघन के संबंध में मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को अग्रेषित कर

दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैध दावेदारों को उनके वन अधिकारों से वंचित न किया जाए।

इसके अलावा, एफआरए के व्यापक कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए) के तहत जिलों को राज्य और जिला/उपखंड स्तर पर समर्पित एफआरए प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय एफआरए के अंतर्गत विचार किए जा सकने वाले वन क्षेत्रों का संभावित मानचित्रण करने के लिए राज्यों से एफआरए एटलस तैयार करने का आग्रह कर रहा है जिन्हें और सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण किया जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय डीए जेजीयूए के तहत राज्य विशिष्ट एफआरए पोर्टल (जिसमें समर्पित सर्वर, सॉफ्टवेयर की लागत, हार्डवेयर, सुरक्षा ऑडिट, भूमि अभिलेखों का डिजिटल मानचित्रण और अन्य परिचालन लागत शामिल हैं) के विकास और रखरखाव के लिए राज्य जनजातीय कल्याण विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(छ) एफआरए और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें एफआरए के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। राज्यों द्वारा दी गई और एमपीआर के अंतर्गत संकलित नवीनतम सूचना के अनुसार, एफआरए का कार्यान्वयन 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में किया जा रहा है। दिनांक 31.05.2025 तक, एफआरए में दायर किए गए दावों की कुल संख्या 51,23,104 थी, जिनमें से 85.47% दावों का निपटान कर दिया गया है और 2,32,73,947.39 एकड़ वन भूमि के संबंध में दावे और **25,11,375 अधिकार पत्र (49.02%)** वितरित किए गए हैं। दिनांक 31.05.2025 तक एफआरए अधिकार पत्र के विवरण का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक I

"अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण" के संबंध में श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे द्वारा दिनांक 31.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1941 के भाग (क) से भाग (ग) तक के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु की जा रही प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में पाँच करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँवों में अवसंरचना संबंधी अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच और आजीविका के अवसर प्रदान करना हैं। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करना है।

(iii) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात, "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए कार्य तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस योजना में चयनित लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित और घोषित करने की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष लघु वनोपज (एमएफपी) वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विपणन कार्य, निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही, सतत् संग्रहण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, लघु वनोपज (एमएफपी) के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार सूचना विकास जैसे अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए थे। इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस, 50% से

अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को कम करने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

(vii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जहाँ यह अनुपात 90:10 है, को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तथा कश्मीर जहां यह 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के छात्रों के लिए हैं। माता-पिता/परिवार की आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹6.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तकों व कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जहां पहले से नए टीआरआई स्थापित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करता है और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को सुदृढ़ करने हेतु अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभा रहा है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातियों के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में आदन-प्रदान यात्राएँ, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने हेतु टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% सहायता अनुदान वित्तपोषित है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा इन स्कीम/कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत जारी की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	अंडमान और निकोबार	0.12	0.08			0.10
2	आंध्र प्रदेश	14.34	39.35		57.00	30.77
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.07	2.67		
4	असम	0.17	1.02	1.07	1.88	1.00
5	बिहार	0.00	0.00			
6	छत्तीसगढ़	35.42	0.00		52.50	
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2.34	2.07			
8	गोवा	0.41	0.00	1.08	0.53	0.36
9	गुजरात	21.99	36.89	54.52	62.00	9.23
10	हिमाचल प्रदेश	0.92	0.00	0.79	1.10	
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00			
12	झारखंड	0.00	38.99		57.00	
13	कर्नाटक	0.00	17.53	23.70	34.00	7.00
14	केरल	1.17	3.47		4.36	1.00
15	लद्दाख	0.42	0.74			0.40
16	मध्य प्रदेश	54.29	114.58	127.44		53.05
17	मणिपुर	0.00	0.00			
18	मेघालय	0.00	0.00	1.15		0.70
19	मिजोरम	1.68	6.57		3.07	
20	नागालैंड	0.61	0.00			
21	ओडिशा	69.45	52.37	93.97		29.50
22	पुडुचेरी	0.02	0.00			
23	राजस्थान	31.27	62.34	35.31		22.36
24	सिक्किम	0.09	0.00	0.18		
25	तमिलनाडु	2.41	5.47	4.04	3.62	0.60
26	तेलंगाना	0.00	0.00		1.50	0.00
27	त्रिपुरा	2.52	0.59	11.37		6.92
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0.88			
29	उत्तराखंड	1.38	0.00		0.15	0.70
30	पश्चिम बंगाल	7.88	9.13		29.89	
	कुल	**248.90**	**394.14**	**357.29**	**308.60**	**163.69**

*अनंतिम

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत राज्य-वार जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.13	0.10			0.10
2	आंध्र प्रदेश	60.39	89.91	133.57	114.71	120.00
3	अरुणाचल प्रदेश	57.13	123.61	96.16	80.00	100.00
4	असम	54.14	10.93	68.45	35.00	79.71
5	बिहार	7.08				4.43
6	छत्तीसगढ़	87.90		93.30	71.25	70.00
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	34.82			4.04	4.90
8	गोवा	4.58		11.87	5.27	5.00
9	गुजरात	229.78	461.70	244.26	350.00	231.22
10	हिमाचल प्रदेश	0.00				5.00
11	जम्मू और कश्मीर	8.05		6.84	7.46	9.95
12	झारखंड	0.00	126.55		53.11	200.00
13	कर्नाटक	0.00	170.81		225.56	125.00
14	केरल	32.85	25.16		46.89	29.00
15	लद्दाख	7.38	22.14	18.91	5.96	35.00
16	मध्य प्रदेश	123.44	245.29	270.49	350.00	250.00
17	महाराष्ट्र	181.50	192.15	90.27	570.36	117.81
18	मणिपुर	21.84	42.92	41.38	30.00	25.00
19	मेघालय	0.00	26.36	146.20	85.00	145.08
20	मिजोरम	34.47	38.75	25.90	25.00	24.00
21	नागालैंड	32.26	44.36	36.08	35.00	62.00
22	ओडिशा	190.96	218.43	171.33	135.64	294.00
23	पुडुचेरी	0.20				0.00
24	राजस्थान	255.57	137.45	188.10	220.00	350.00
25	सिक्किम	5.54	10.36	9.25		6.00
26	तमिलनाडु	33.29	48.49	28.54	20.00	25.00
27	तेलंगाना	272.98	75.04	238.51	112.50	152.50
28	त्रिपुरा	48.05	71.89	45.22	40.00	74.94
29	उत्तर प्रदेश	22.19			10.00	15.00
30	उत्तराखंड	0.00	35.68		1.88	2.70
31	पश्चिम बंगाल	22.56	38.72		34.06	35.00
	कुल	**1829.08**	**2256.80**	**1964.63**	**2668.69**	**2598.34**

*अनंतिम

पीएम-जनमन के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	14.97	5.00
2	छत्तीसगढ़	8.52	0.00
3	गुजरात	1.66	4.37
4	झारखंड	0.62	1.50
5	कर्नाटक	3.33	10.26
6	केरल	2.29	0.00
7	मध्य प्रदेश	25.99	0.00
8	महाराष्ट्र	12.47	5.00
9	ओडिशा	12.68	23.92
10	राजस्थान	3.33	3.44
11	तमिलनाडु	5.20	20.67
12	तेलंगाना	2.91	13.24
13	त्रिपुरा	4.57	7.50
14	उत्तर प्रदेश	0.83	0.00
15	उत्तराखंड	0.62	4.78
	कुल	**100.00**	**99.68**

*अनंतिम

"पीवीटीजी का विकास" स्कीम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	1245.51	1829.6	1645.5	0	0
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	252.11	0	0	0
3	बिहार	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	989.32	996.9	1500	0	0
5	गुजरात	552.2	761.8	1731.2	0	0
6	झारखंड	1777.29	1696.93	0	0	0
7	कर्नाटक	438.46	661.17	1439.42	0	0
8	केरल	88	0	0	0	0
9	मध्य प्रदेश	2188.11	2888.69	0	0	0
10	महाराष्ट्र	1411.66	0	0	0	0
11	मणिपुर	0	0	0	0	0
12	ओडिशा	1202	1197	1796.75	0	0
13	राजस्थान	968	706.17	1120.625	0	0
14	तमिलनाडु	551.08	1967.81	907.7	0	2723..11
15	तेलंगाना	1460.5	1193.04	1508.13	0	2746.87
16	त्रिपुरा	231.43	1481.71	1402.65	0	207.95
17	उत्तर प्रदेश	82.04	0	0	0	0
18	उत्तराखंड	295	367.07	0	0	0
19	पश्चिम बंगाल	519.4	0	665.95	0	1631.05
	कुल	**14000**	**16000**	**13717.925**	**0**	**7308.98**

*अनंतिम

पिछले पांच वर्षों में एनएसटीएफडीसी द्वारा वितरित ऋण राशि

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1	आंध्र प्रदेश	5022.24	1127.19	4119.80	5551.49	6039.21
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	970.52	814.01	699.90	25.77	17.88
4	असम	5.00			40.02	24.24
5	बिहार		11.48		3.06	0.00
6	छत्तीसगढ़	197.49	1398.99	296.00	227.29	499.43
7	दादरा एवं नगर हवेली				4.55	0.00
8	गोवा				0.22	0.00
9	गुजरात	1442.03	2022.50	1019.61	2810.12	4931.39
10	हरियाणा					0.00
11	हिमाचल प्रदेश	13.40	14.00	56.90	2.19	30.60
12	जम्मू और कश्मीर	408.75	1362.87	1272.54	295.19	1102.49
13	झारखंड	1001.60	1422.00	3.00	684.25	247.45
14	कर्नाटक	3109.08	1369.31	1582.42	853.41	1854.44
15	केरल	298.76	637.30	720.73	446.74	684.80
16	लक्षद्वीप					73.53
17	मध्य प्रदेश	3360.10	2755.01	5392.05	1759.58	1660.72
18	महाराष्ट्र	37.27	209.06	658.19	2523.52	567.76
19	मणिपुर	62.37		25.00	235.49	102.80
20	मेघालय	4485.43	694.81	470.60	475.91	298.09
21	मिजोरम	3324.18	5450.68	5295.74	6856.69	6948.28
22	नागालैंड	1098.72	693.36	20.39	1199.77	627.08
23	ओडिशा	1794.44	2457.93	63.19	362.35	883.56
24	राजस्थान	2205.16	508.60	789.35	712.22	130.16
25	सिक्किम	82.11	62.56		34.23	201.63
26	तमिलनाडु	12.50	15.00	1087.13	3265.67	1210.39
27	तेलंगाना	5359.23	3111.55	4583.99	3218.52	5174.31
28	त्रिपुरा	2216.28	580.26	48.02	2014.62	1695.98
29	उत्तराखंड	6.15		81.42	32.59	1.92
30	उत्तर प्रदेश	1.55			3.37	85.81
31	पश्चिम बंगाल	275.64	573.91	1643.33	1526.59	2233.75
	कुल	**36790.00**	**27292.38**	**29929.30**	**35165.42**	**37327.70**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान टीएसएस/पीएमएएजीवाई को एससीए के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	टीएसएस को एससीए	पीएमएएजीवाई			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
		जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	4954.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	7015.50	733.68	0.00	0.00	0.00
3	असम	4578.76	8743.02	11538.22	7182.38	5186.19
4	बिहार	3106.00	774.44	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	8769.06	15595.8	23021.82	0.00	0.00
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	173.23	0.00	0.00
7	गोवा	724.26	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	10786.40	15916.78	19401.76	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	1367.00	377.03	288.09	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	932.39	0.00	0.00
11	लद्दाख	0.00	0.00	470.53	0.00	0.00
12	झारखंड	7049.64	6531.79	6915.28	0.00	0.00
13	कर्नाटक	0.00	2139.9	937.48	0.00	0.00
14	केरल	459.15	0.00	0.00	61.19	30.00
15	मध्य प्रदेश	0.00	12268.76	27694.54	0.00	0.00
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	13485.50	0.00	0.00
17	मणिपुर	0.00	427.98	295.47	0.00	0.00
18	मेघालय	328.25	0.00	3342.30	0.00	0.00
19	मिजोरम	1236.22	580.83	1818.61	1112.009	1468.00
20	नागालैंड	2846.14	886.53	2233.97	0.00	3827.44
21	ओडिशा	9010.42	2771.68	1001.24	3044.42	0.00
22	राजस्थान	8662.66	7224.71	15269.66	0.00	0.00
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	377.47	285.32	285.62	855.805	461.37
25	तेलंगाना	4191.00	2262.18	1681.04	0.00	1646.00
26	त्रिपुरा	1173.30	631.78	904.48	2737.23	0.00
27	उत्तराखंड	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00
28	उत्तर प्रदेश	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	3746.00	0.00	3495.20	0.00	0.00
	कुल	**81648.82**	**78152.21**	**135186.41**	**14993.04**	**12619.00**

*अनंतिम

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जारी की गई निधियां दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 05.06.2025 तक)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	***राज्य***	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
		कुल निर्मुक्ति	**कुल निर्मुक्ति**	**कुल निर्मुक्ति**	**कुल निर्मुक्ति**	**कुल निर्मुक्ति**
1	आंध्र प्रदेश	2055.55	2638.65	0.00	0.00	9841.55
2	अरुणाचल प्रदेश	6014.00	9830.00	7265.30	6740.00	10030.00
3	असम	4592.37	2570.000	2300.00	3294.12	4286.23
4	बिहार	0.00	642.08	1001.01	871.24	524.00
5	छत्तीसगढ़	9976.24	11604.02	13578.43	15676.77	14506.46
6	गोवा	0.00	600.41	667.79	150.00	479.91
7	गुजरात	5940.04	6923.79	7549.12	4584.77	2727.27
8	हिमाचल प्रदेश	1161.00	1500.00	1655.00	1696.45	2244.23
10	झारखंड	10278.00	12264.19	6677.87	14299.82	5147.06
11	कर्नाटक	3305.68	3210.00	4297.57	4070.00	4730.26
12	केरल	0.00	0.00	817.67	1910.44	395.81
13	मध्य प्रदेश	4279.78	5319.10	8438.75	15741.70	9183.585
14	महाराष्ट्र	4573.16	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मणिपुर	0.00	0.00	1067.36	2456.35	1981.32
16	मेघालय	492.71	1595.25	2904.84	3127.29	2217.40
17	मिजोरम	1909.71	2971.54	1654.05	2897.97	2143.80

18	नागालैंड	1717.38	3202.39	5863.47	5020.11	2050.50
19	ओडिशा	6304.62	11382.05	10150.55	6870.56	10107.95
20	राजस्थान	9166.00	10435.21	11002.53	8940.07	4626.61
21	सिक्किम	516.00	2045.00	720.38	1754.38	4485.06
22	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	650.49	2019.665
23	तेलंगाना	2517.00	2050.00	3114.46	5169.00	13797.00
24	त्रिपुरा	201.74	607.53	1294.71	4226.39	4151.82
25	उत्तर प्रदेश	927.426	832.71	1135.82	1353.63	1829.90
26	उत्तराखंड	0.00	100.65	306.02	964.05	0.00
27	पश्चिम बंगाल	4041.14	0.00	4186.50	4744.40	3549.61
कुल योग		**79969.55**	**92324.57**	**97649.20**	**117210.00**	**117057.00**

*अनंतिम

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
आंध्र प्रदेश	50.26	162.29	183.01	92.19	249.08
अरुणाचल प्रदेश	271.84	237.79	213.91	205.74	639.09
असम	40.62	185.12	214.46	121.75	284.47
छत्तीसगढ़	49.00	130.37	138.42	140.64	250.83
दिल्ली	13.16	14.29	8.31	-	17.42
गुजरात	120.98	104.03	284.73	299.17	338.79
हिमाचल प्रदेश	224.25	131.55	226.02	437.22	578.27
जम्मू और कश्मीर	46.39	26.73	36.76	-	49.28
झारखंड	501.37	697.12	881.91	918.76	2666.31
कर्नाटक	116.51	222.94	290.59	247.33	520.86

केरल	120.82	142.81	129.48	7.53	186.75
लद्दाख	-	43.09	74.33	84.54	181.79
मध्य प्रदेश	223.89	1102.69	1091.13	975.56	1438.54
महाराष्ट्र	402.57	673.98	1358.81	1047.53	1550.50
मणिपुर	280.92	602.03	207.54	406.09	657.29
मेघालय	845.01	776.02	2132.05	914.83	2017.34
मिजोरम	69.64	111.51	51.50	38.69	158.85
ओडिशा	1536.82	2424.82	2049.49	4095.84	2885.48
राजस्थान	189.80	101.66	269.21	217.68	498.95
सिक्किम	9.46	27.18	46.81	53.16	117.11
तमिलनाडु	117.03	274.74	250.31	377.29	189.10
तेलंगाना	54.82	56.64	39.99	96.98	208.03
त्रिपुरा	33.54	1.56	95.69	42.09	186.63
उत्तर प्रदेश	112.23	32.21	61.49	51.03	140.36
उत्तराखंड	48.54	64.22	112.93	44.30	98.68
पश्चिम बंगाल	470.51	577.61	476.10	1167.79	1390.18
कुल	**5950.00**	**8925.00**	**10925.00**	**12083.71**	**17500.00**

*अनंतिम

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' स्कीम के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	**राज्य**	**जारी की गई निधियां**				
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	455.00	432.75	219.13	125.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	184.15	0	0.00	48.63	150.00
4	असम	0.00	0	0.00	0.00	270.00
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
6	छत्तीसगढ़	0.00	189.04	113.43	250.00	1100.00
7	गोवा	202.50	111.75	0.00	50.57	200.00
8	गुजरात	0.00	0	0.00	0.00	250.00
9	हिमाचल प्रदेश	50.00	114.1	0	0.00	125.00
10	जम्मू और कश्मीर	206.51	200	170.84	770.85	100.00

11	झारखंड	0.00	13.92	164.96	417.03	200.00
12	कर्नाटक	26.35	184.25	0.00	0.00	200.00
13	केरल	0.00	0	0.00	0.00	300.00
14	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
15	मध्य प्रदेश	447.00	484.58	0.00	143.08	600.00
16	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0.00	250.00
17	मणिपुर	0.00	0	0.00	0.00	140.00
18	मिजोरम	1178.22	766.65	53.75	550.00	723.14
19	नागालैंड	0.00	85	205.000	400.00	600.00
20	ओडिशा	503.00	644.76	313.15	600.00	600.00
21	राजस्थान	8.89	215.34216	0.00	0.00	0.00
22	सिक्किम	144.00	273.3	0.00	0.00	200.00
23	तमिलनाडु	0.00	135.09	0.00	25.00	300.00
24	तेलंगाना	375.75	548.95	0.00	0.00	1300.00
25	त्रिपुरा	0.00	44.29384	0.00	25.00	300.00
26	उत्तर प्रदेश	35.15	89.25	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0.00	0.00
28	मेघालय	0.00	66.224	0.00	0.00	100.00
29	उत्तराखंड	2183.48	1400.75	0.00	948.01	793.86
	कुल	**6000.00**	**6000.00**	**1240.26**	**4353.17**	**9000.00**

*अनंतिम

पिछले पांच वर्षों के दौरान ईएमआरएस के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	6,199.12	14,591.28	12,600.57	10,795.05	20,252.60
2	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	200.24	119.54	1,010.87	693.91	1,998.01
3	असम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	750	1,800.00	1,433.65	2,732.67	10,638.59
4	बिहार	10	0	0	8.95	34.12
5	छत्तीसगढ़	6,968.12	13,259.66	19,435.93	15,888.89	75,241.68
6	दादरा एवं नगर हवेली	95.7	252.55	568.22	163.45	173.77
7	गुजरात	4,755.86	1,060.00	10,088.95	15,667.55	23,739.43
8	हिमाचल प्रदेश	255.06	599.11	483.18	829.76	1,353.01
9	जम्मू और कश्मीर	0	392.4	1,200.00	891.4	373.56
10	झारखंड	2,205.73	11,309.20	23,562.27	23,915.13	63,365.39

11	कर्नाटक	2,495.83	3,672.86	1,768.84	2,677.67	5,996.19
12	केरल	0	229.56	1,515.66	249	1,030.37
13	लद्दाख	0	10	450	800	17.41
14	मध्य प्रदेश	14,459.36	3,560.00	31,817.79	13,157.19	24,589.25
15	महाराष्ट्र	2,787.16	4,393.74	12,919.16	8,525.91	26,849.30
16	मणिपुर (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1,268.00	398.08	2,369.98	3,044.92	2,325.91
17	मेघालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1,123.45	1,100.00	800	21,014.66	31,442.72
18	मिजोरम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	3,283.73	6,085.41	2,094.54	1,242.52	14,313.18
19	नागालैंड (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	5,885.51	9,481.60	557.71	18,377.12	698.27
20	ओडिशा	6,174.27	10,648.82	28,164.31	48,934.80	60,184.05
21	राजस्थान	12,944.17	18,214.71	19,463.30	13,687.79	8,532.54
22	सिक्किम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	800.33	1,037.88	1,047.35	1,118.83	845.00
23	तमिलनाडु	1,225.14	1,190.62	1,098.78	1,099.80	1,738.95
24	तेलंगाना	9,517.30	19,695.52	12,794.53	14,276.17	13,492.34
25	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	6,064.89	5,715.44	6,435.19	6,670.35	9,946.98
26	उत्तर प्रदेश	386.68	337.49	596.23	624.14	949.43
27	उत्तराखंड	321.28	598.39	474.95	1,537.53	3,475.04
28	पश्चिम बंगाल	2,062.45	0	2,303.67	1,869.70	1,789.50
	कुल	**92,239.38**	**1,29,753.86**	**1,97,055.63**	**2,30,494.86**	**4,05,386.59**

*अनंतिम

–

"अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण" के संबंध में श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1941 के उत्तर के भाग (छ) में संदर्भित अनुलग्नक

दिनांक 31.05.2025 तक "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" के तहत प्राप्त दावे, अधिकार पत्रों का वितरण और वन भूमि का विस्तार जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किए गए (व्यक्तिगत और सामुदायिक) का ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य	दिनांक 31.05.2025 तक प्राप्त दावों की संख्या			दिनांक 31.05.2025 तक वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			वन भूमि विस्तार जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित किए गए (एकड़ में)		
		व्यक्ति	समुदाय	कुल	व्यक्ति	समुदाय	कुल	व्यक्ति	समुदाय	कुल
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	285,098	3,294	288,392	226,651	1,822	228,473	454,706	526,454	981,160.00
2	असम	148,965	6,046	155,011	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
3	बिहार	4,696	0	4,696	191	0	191	53.03	0.00	53
4	छत्तीसगढ़	890,220	57,259	947,479	481,432	52,636	534,068	949,770.89	9,102,957.49	10,052,728.38
5	गोवा	9,757	379	10,136	856	15	871	1,506.45	18.66	1,525.11
6	गुजरात	183,055	7,187	190,242	98,732	4,792	103,524	168,448.83	1,240,680.15	1,409,128.99
7	हिमाचल प्रदेश	4,883	683	5,566	662	146	808	126.65	62,677.24	62,803.89
8	झारखंड	107,032	3,724	110,756	59,866	2,104	61,970	153,395.86	103,758.97	257,154.83
9	कर्नाटक	288,549	5,940	294,489	14,981	1,345	16,326	20,077.30	36,340.52	56,417.82
10	केरल	44,455	1,014	45,469	29,422	282	29,704	38,810.58	788,651.25	827,461.83
11	मध्य प्रदेश	585,326	42,187	627,513	266,901	27,976	294,877	903,533.06	1,463,614.46	2,367,147.52
12	महाराष्ट्र	397,897	11,259	409,156	199,667	8,668	208,335	461,491.25	3,371,497.43	3,832,988.68
13	ओडिशा	701,148	35,024	736,172	462,067	8,832	470,899	674,775.33	743,193.39	1,417,968.72

14	राजस्थान	113,162	5,213	118,375	49,215	2,551	51,766	70,387.18	239,763.95	310,151.13
15	तमिलनाडु	33,119	1,548	34,667	15,442	1,066	16,508	22,104.80	60,468.77	82,573.57
16	तेलंगाना	651,822	3,427	655,249	230,735	721	231,456	669,689.14	457,663.17	1,127,352.32
17	त्रिपुरा	200,557	164	200,721	127,931	101	128,032	465,192.88	552.40	465,745.28
18	उत्तर प्रदेश	92,972	1,194	94,166	22,537	893	23,430	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	0.00	0.00	0.00
20	पश्चिम बंगाल	131,962	10,119	142,081	44,444	686	45,130	21,014.27	572.03	21,586.29
21	जम्मू और कश्मीर	33,233	12,857	46,090	429	5,591	6,020	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
कुल		**4,911,495**	**211,609**	**5,123,104**	**2,389,670**	**121,705**	**2,511,375**	**5075083.51**	**18198863.89**	**23273947.39**

*****